//कार्यालयः जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर (म0प्र0)//

369 to 369 (18) —:: **ज्ञापन** ::—

क्रमांक...../सा.अनु./17/2020, अलीराजपुर दिनांक 26/02/~~2020~~ 2021

प्रति,

1. श्री पी.सी. जैन, नोटरी अधिवक्ता, अलीराजपुर।
2. श्री के.सी. मोदी, नोटरी अधिवक्ता, अलीराजपुर।
3. श्री डी.एस. चंदेल, नोटरी अधिवक्ता, अलीराजपुर।
4. श्रीमति रचना शर्मा, नोटरी अधिवक्ता, अलीराजपुर।
5. श्री पदमसिंह गेहलोद, नोटरी अधिवक्ता, अलीराजपुर।
6. श्री सुरेश माहेश्वरी, नोटरी अधिवक्ता, अलीराजपुर।
7. श्री राजेश, राठौर, नोटरी अधिवक्ता, अलीराजपुर।
8. श्री सुधीर मोदी, नोटरी अधिवक्ता, अलीराजुपर।
9. श्री नानला किराड़, नोटरी अधिवक्ता, अलीराजपुर।
10. श्रीकांत बाहेती, नोटरी अधिवक्ता, अलीराजपुर।
11. श्री योगेन्द्र वाणी, नोटरी अधिवक्ता, अलीराजपुर।
12. श्री आर.एल. वाणी, नोटरी अधिवक्ता जोबट।
13. श्री व्हाय.एन. शर्मा, नोटरी अधिवक्ता, जोबट।
14. श्री बसन्त राठोर, नोटरी अधिवक्ता, जोबट।
15. श्री जितेन्द्र कुमार वाणी, नोटरी अधिवक्ता, जोबट।
16. श्री रमेश राठौर, नोटरी अधिवक्ता, जोबट।
17. श्री रितेश श्रीवास्तव, नोटरी अधिवक्ता, जोबट।
18. श्री आर.के. गुप्ता, नोटरी अधिवक्ता, भाबरा।
19. श्री के.एस. भाभर, नोटरी अधिवक्ता, भाबरा।

विषयः— नोटरी कार्य में चस्पा किये जा रहे टिकिटों की असमानता एवं अनाधिकृत व्यक्तियों के द्वारा किये जा रहे नोटरी कार्य को रोके जाने के संबंध में।

संदर्भः— मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल का पत्र क्रमांक 1708/21—ब(दो) भोपाल दिनांक 08.02.2021 के परिपेक्ष्य में।

——00——

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ज्ञापन के परिपेक्ष्य में लेख है कि विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल को शिकायत प्राप्त हो रही है कि नोटरियों के द्वारा मनमाने तौर पर फीस उदग्रहित की जा कर फर्जी रसीदें

निरन्तर——

प्रदान की जा रही है एवं नियमानुसार नोटरी रजिस्टर भी संधारित नहीं किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा "मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 16.09.2014 (असाधारण) में नोटरी द्वारा सत्यापित "शपथ पत्र अर्थात लिखित में किया गया कोई कथन जो तथ्यों के कथन के लिये तात्पर्यित है, जो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित है और जिसकी पुष्टि उसके द्वारा शपथ पत्र या उन व्यक्तियों के मामले में जिन्हें विधि द्वारा घोषित करने के लिए अनुज्ञात किया गया है, प्रतिज्ञान द्वारा की गई है", हेतु स्टाम्प शुल्क (उद्ग्रहणीय फीस) राशि रू. 50/– (पचास रूपये) निर्धारित की गयी है। जिसके संबंध में नोटरी नियम–1956 के नियम 10 में भी नोटरीगण द्वारा नोटरियल कार्य करने के लिये नोटेरी को देय फ़ीस की जानकारी दी गयी है।

अतः नोटरी नियम–1956 के नियम 10 एवं महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, म.प्र. भोपाल के पत्र दिनांक 10.10.2014 के निर्देशानुसार लेख है कि जिले में कार्यरत समस्त नोटरी अधिवक्ता दस्तावेज निष्पादन/विलेख उपरोक्तानुसार आवश्यक आवश्यक रूप से किया जाए। यदि नोटरी अधिवक्ता नियम विरूद्ध कृत्य करता पाया जायेगा तो नोटरी नियम–1956 के तहत गंभीर कदाचार की श्रेणी में माना जावेगा" तथा तदानुसार कार्यवाही की जावेगी।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अलीराजपुर (म.प्र.)

पृ. क्रमांक 369(19) to 369(20) /सा.अनु./17/2021, अलीराजपुर, दिनांक 26/02/2021

प्रतिलिपि :–

01. नोटरी जांच अधिकारी, अलीराजपुर/जोबट की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. सिस्टम असिस्टेंट, अलीराजपुर की ओर जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अलीराजपुर (म.प्र.)

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

क्रमांक 1708/21–ब(दो) भोपाल, दिनांक 8/02/2021

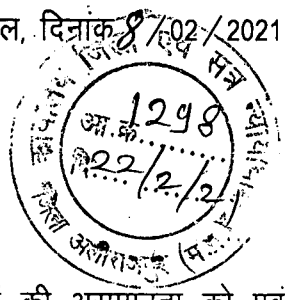

प्रति,

समस्त
जिला एवं सत्र न्यायाधीश/जिला दण्डाधिकारी(कलेक्टर)
जिला–.....म.प्र

विषयः–संपूर्ण मध्यप्रदेश में नोटरी कार्य में चस्पा किये जा रहे टिकिटों की असमानता को एवं अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा किये जा रहें नोटरी कार्य को रोके जाने हेतु.

––00––

उपरोक्त विषयक लेख है, कि विभाग को प्राय यह शिकायत प्राप्त हो रही है, कि नोटरियों के द्वारा मनमाने तौर पर फीस उद्ग्रहित की जा कर फर्जी रसीदें प्रदान की जा रही है एवं नियमानुसार नोटरी रजिस्टर भी संधारित नहीं किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा "मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 16.9.2014 (असाधारण) मे नोटरी द्वारा सत्यापित "शपथ पत्र अर्थात् लिखित में किया गया कोई कथन जो तथ्यों के कथन के लिये तात्पर्यित है, जो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित है और जिसकी पुष्टि उसके द्वारा शपथ पर या उन व्यक्तियों के मामले में जिन्हें विधि द्वारा घोषणा करने के लिए अनुज्ञात किया गया है, प्रतिज्ञान द्वारा की गई है", हेतु स्टाम्प शुल्क (उद्ग्रहणीय फीस) राशि 50/– (पचास रूपये) निर्धारित की गयी है। जिसके संबंध मे नोटरी नियम–1956 के नियम 10 में भी नोटरीगण द्वारा नोटरियल कार्य करने के लिये नोटेरी को देय फीस की जानकारी दी गयी है।

अतः नोटरी नियम–1956 के नियम 10 एवं महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक , म.प्र. भोपाल के पत्र दिनांक 10.10.2014 के पत्र की छायाप्रति संलग्न कर निर्देशानुसार अनुरोध है, कि आपके जिलों मे कार्यरत नोटरी अधिवक्ताओं को दस्तावेज निष्पादित करने/विलेख किये जाने के संबंध मे उक्तानुसार आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें। यदि नोटरी अधिवक्ता नियम विरूद्ध कृत्य करता पाया जायेगा तो नोटरी नियम–1956 के तहत गंभीर कदाचरण की श्रेणी मे माना जावेगा" तथा तदानुसार कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

(प्रशांत कुमार)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृष्ठाकन क. 1708/21–ब(दो) भोपाल, दिनांक /02/2021

प्रतिलिपी
1–अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, जिला–––––––– की ओर सूचनार्थ प्रेषित.

(प्रशांत कुमार)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

महत्वपूर्ण

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश

(पंजीयन भवन, पुरानी विधानसभा के सामने, भोपाल-462003)

क्रमांक / MM26 / तक / 2014

भोपाल, दिनांक [illegible]

प्रति,

वरिष्ठ जिला पंजीयक / जिला पंजीयक (समस्त)

वरिष्ठ उपपंजीयक / उपपंजीयक (समस्त)

विषयः—विभिन्न विभागों में असम्यक रूप से मुद्रांकित शपथपत्रं पर देय मुद्रांक शुल्क की जानकारी देने बाबत्।

संदर्भः—अखिल भारतीय नोटरी अधिवक्ता संघ भोपाल का पत्र दि. 26.09.2014

—0—

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र से अखिल भारतीय नोटरी अधिवक्ता संघ, भोपाल ने अवगत कराया है कि म.प्र. शासन की अधिसूचना दिनांक 16.09.2014 से शपथपत्र 50/- रूपए के स्टाम्प पर प्रमाणित किये जाते है। किन्तु कतिपय नोटरी 10/- रूपए के स्टाम्प पर प्रमाणित कर रहे है। नोटरियों का उक्त कृत्य मुद्रांक शुल्क [illegible] अनुसूची 1(क) के अनुच्छेद 5 में शपथपत्र हेतु 50/- रूपए के स्टाम्प शुल्क [illegible] स्पष्ट उल्लंघन होकर शासन को राजस्व हानि पहुँचाने वाला है।

अतः आपके क्षेत्राधिकार मे आने वाले कार्यरत नोटरियों, विकास प्राधिकरण, म.प्र. ग्रह निर्माण मंडल, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, समस्त समाधान केन्द्र, विभागीय अधिकारी, पासपोर्ट कार्यालय, [illegible] तहसीलदार (समस्त) समस्त बैंक, आर.टी.ओ. [illegible] विद्युत मंडल [illegible] समस्त व्यवहार न्यायालय एवं कलेक्टर आदि [illegible] शपथपत्र एवं अनुबंध [illegible] बढी हुई दरों से अवगत कराते एवं उपसंचालक, सहा. संचालक, जनसंपर्क विभाग को समाचार पत्रो में जनसाधारण की जानकारी [illegible] समाचार प्रकाशित [illegible] आम जनता को 16.09.2014 से मुद्रांक शुल्क [illegible] बढी हुई दरों की जानकारी [illegible] उक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे एवं की गयी कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करायें।

(हस्ताक्षर)

महानिरीक्षक पंजीयन,

मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक / MM27 / तक. / 2014

भोपाल, दिनाक 10/10/2014

प्रतिलिपिः--

1 उपमहानिरीक्षक, पंजीयन, समस्त संभाग [illegible] आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(हस्ताक्षर)

महानिरीक्षक पंजीयन,

मध्यप्रदेश

टिप्पणी

नोटरी के प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन की परिसीमा—नियम 8-ख अन्तःस्थापित करके तीन माह की परिसीमा का उपबन्ध किया गया है। यह उन आवेदनों को लागू नहीं हो सकता है जो विचारण के लिए पहले से ही लम्बित हैं। इसके अतिरिक्त, नियम 8-ख के परन्तुक के अनुसार तीन माह के पूर्व आवेदन दाखिल करने की शर्त में छूट देने के लिए राज्य सरकार को सशक्त किया गया है। परिणामतः, नवीनीकरण के लिए आवेदन याचीगण में से किसी द्वारा सदभावपूर्ण प्रस्तुत किया जाता है तो आवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब की क्षमा से सम्बंधित मामलों पर राज्य सरकार द्वारा उदारतापूर्वक विचार करने की अपेक्षा की गयी।[1]

9. अभ्यास के प्रमाण-पत्र को जारी और नवीनीकृत करने और क्षेत्र के विस्तार के लिए फीस—अभ्यास के प्रमाण-पत्र को जारी और नवीनीकृत करने और क्षेत्र के विस्तार के लिए फीस निम्नानुसार होगी—

[2][(क) व्यवसाय का प्रमाण-पत्र जारी करना — रुपये 2000

(ख) व्यवसाय के क्षेत्र का विस्तार — रुपये 1500

(ग) व्यवसाय के प्रमाण-पत्र का नवीकरण — रुपये 1000

(घ) व्यवसाय के प्रमाण-पत्र की अनुलिपि जारी करना — रुपये 750]

10. किसी नोटेरियल कार्य करने के लिए नोटेरी को देय फीस—[3][(1) प्रत्येक नोटेरी नीचे वर्णित दरों से अनधिक शुल्क प्रभारित कर सकेगा, अर्थात्—

(क) एक लिखत के अनादरण प्रमाणन के लिए :

यदि लिखत की राशि 10,000 रु० से अधिक न हो — 50 रु०

यदि यह 10,000 रु० से अधिक है किन्तु 25,000 रु० से अनधिक है — 100 रु०

यदि यह 50,000 रु० से अधिक है किन्तु 50,000 रु० से अनधिक है — 150 रु०

यदि यह 50,000 रु० से अधिक है — 200 रु०

(ख) किसी लिखत के प्रसाक्ष्यन के लिए

यदि लिखत की राशि 10,000 रु० से अनधिक है — 50 रु०

यदि यह 10,000 रु० से अधिक है किन्तु 25,000 रु० से अनधिक है — 100 रु०

यदि यह 25,000 रु० से अधिक है किन्तु 1,00,000 रु० से अनधिक है — 150 रु०

यदि यह 1,00,000 रु० से अधिक है — 200 रु०

(ग) आदरण के लिए संदाय की किसी घोषणा को अभिलिखित करने के लिए — 100 रु०

1. तरुण मेहता बनाम राजस्थान राज्य, ए० आई० आर० 2010 राज० 106।
2. सा० का० नि० 150 (अ), दिनांक 4.3.2014 द्वारा (4.3.2014 से) प्रतिस्थापित।
3. सा० का० नि० 150 (अ), दिनांक 4.3.2014 द्वारा (4.3.2014 से) प्रतिस्थापित।

(घ) प्रसाक्ष्य की दूसरी प्रति — मूल प्रति के प्रभार का आधा

(ङ) किसी लिखत के निष्पादन के सत्यापन, अधिप्रमाणन, प्रमाणन या अनुप्रमाणन के लिए — 35 रु०

(च) किसी वचन-पत्र, हुंडी या विनिमय-पत्र को स्वीकृति या भुगतान के लिए या बेहतर प्रतिभूति की मांग करने के लिए प्रस्तुत करने के लिए — 50 रु०

(छ) किसी व्यक्ति को शपथ दिलवाने या उससे शपथ पत्र लेने के लिए — 35 रु०

(ज) किसी अन्य देश या भारत से बाहर किसी स्थान में लागू होने के लिए ऐसे प्ररूप और भाषा में ऐसी लिखत तैयार करने के लिए जो उस स्थान की विधि के अनुरूप हो जहां ऐसे विलेख का प्रवर्तन किया जाना आशयित है — 200 रु०

(झ) किसी अन्य देश में या भारत के बाहर किसी स्थान में प्रभावी होने के लिए ऐसे प्ररूप और भाषा में जो उस स्थान की विधि के अनुरूप हो जहां ऐसे विलेख का प्रवर्तन किया जाना आशयित है, किसी ऐसी लिखत के अनुप्रमाणन या अधिप्रमाणन के लिए — 200 रु०

(ञ) किसी दस्तावेज का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद और अनुवाद का सत्यापन करने के लिए — 100 रु०

(ट) पोत का प्रसाख्य, नौका का प्रसाक्ष्य या डेमरेज या अन्य वाणिज्यिक मामले से संबंधित प्रसाक्ष्य के अनादरण प्रमाणन और उसे लेखबद्ध करने के लिए — 200 रु०

(ठ) मूल की सत्य प्रतिलिपियों के रूप में दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों के लिए — 10 रु० प्रतिपृष्ठ न्यूनतम 20 रु०

(ड) किसी अन्य नोटेरी कार्य के लिए : — ऐसी राशि, जो समुचित सरकार समय-समय पर नियत करें।]

(2) नोटेरी द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस की दरें उसके द्वारा उसके चेम्बर या कार्यालय के अन्दर और बाहर की तरफ सहजदृश्य स्थान में लगायी जायेगी।

(3) उपरोक्त फीसों के अलावा, नोटेरी [1][बीस रुपये] प्रति कि०मी० दर से सड़क द्वारा या रेल द्वारा यात्रा भत्ता प्रभारित कर सकता है।

टिप्पणी

उदार दृष्टिकोण अपेक्षित—विलम्ब को माफ करने से इन्कार करते हुए नोटेरी के रजिस्टर से नाम हटाया गया था। इसकी वैधता को चुनौती दी गयी थी। प्राधिकारी के वकालत के नवीकरण प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन पेश करने की शर्त को शिथिल करने के लिए शक्ति थी। विलम्ब के मामले में, प्राधिकारियों को विलम्ब को माफ करने या नियम को शिथिल करने में व्यावहारिक दृष्टिकोण अंगीकार नहीं किया जाना चाहिए और उदार होना चाहिए। आवेदक के विरुद्ध कोई

1. सा० का० नि० 150 (अ), दिनांक 4.3.2014 द्वारा (4.3.2014 से) प्रतिस्थापित।